



# THE LEGAL FRAMEWORK AND GROWING CHALLENGES OF E-CONTRACTS IN INDIA

## भारत में ई-अनुबंधों की कानूनी संरचना और बढ़ती चुनौतियाँ

**Vandana Sharma**

**Roll Number: 240901162012**

**Course: LL.M**

**Amrit Law College, Dhanauri, Roorkee**

### सार

ई-कॉमर्स और प्लेटफॉर्म सेवाओं के तेजी से प्रसार ने भारत में पार्टियों के अनुबंधों पर बातचीत करने, निष्कर्ष निकालने और निष्पादित करने के तरीके को बदल दिया है। इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध (ई-अनुबंध) अब उपभोक्ता खरीदारी और ऐप सदस्यता से लेकर बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) आपूर्ति श्रृंखला और फिनटेक सेवाओं तक हर चीज में मध्यस्थता करते हैं। COVID-19 महामारी ने इस बदलाव को तेज कर दिया, क्लिक-रैप, ब्राउज-रैप, श्रिंक-रैप और ई-मेल समझौतों के माध्यम से "संपर्क रहित" अनुबंध को सामान्य बनाया और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (ई-साइन/डिजिटल हस्ताक्षर) को एंटरप्राइज़ वर्कफ़्लो में एम्बेड किया। यह पेपर भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उत्तराधिकारी) पर केंद्रित, ई-अनुबंधों को नियंत्रित करने वाली भारत की कानूनी व्यवस्था का एक सैद्धांतिक और नीति विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि कैसे क्लासिक तत्व प्रस्ताव, स्वीकृति, विचार, इरादा, क्षमता, सहमति, वैध वस्तु डिजिटल संदर्भ में अनुवाद करते हैं; इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की साक्ष्य स्थिति की जांच करता है; और प्रवर्तनीयता को कैलिब्रेट करने में सार्वजनिक नीति की भूमिका को दर्शाता है, खासकर जहां मानक-रूप की शर्तें,

असममित सौदेबाजी की शक्ति और डेटा-गहन आर्किटेक्चर एक दूसरे को काटते हैं। पेपर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई), स्वचालित अनुबंध और प्लेटफ़ॉर्म गवर्नेंस का भी आकलन करता है, और साइबर सुरक्षा, सीमा पार प्रवर्तन, गोपनीयता और मशीन-जनित रिकॉर्ड के साक्ष्य प्रमाणीकरण के आसपास अंतराल की पहचान करता है। यह निष्कर्ष निकालता है कि भारतीय कानून मोटे तौर पर ई-अनुबंधों को मान्यता देता है, लेकिन उपभोक्ता और सामाजिक हितों की रक्षा करते हुए कानूनी निश्चितता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सहमति पर लक्षित सुधार मार्गदर्शन, सीमा पार क्षेत्राधिकार के लिए स्पष्ट नियम, मजबूत सहमति पारदर्शिता और क्षेत्र-विशिष्ट मानकों से लाभ होगा।

**कीवर्ड:** इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, डिजिटल हस्ताक्षर, भारतीय साक्षात् अधिनियम, सार्वजनिक नीति।

## परिचय

भारत में डिजिटल कॉमर्स के तेजी से विस्तार ने अनुबंधों के गठन, निष्पादन और लागू करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। ई-अनुबंध-ईमेल, वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संपन्न समझौते-आधुनिक वाणिज्यिक लेनदेन का एक अनिवार्य घटक बन गए हैं। भारत में ऐसे अनुबंधों की कानूनी मान्यता मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा शासित होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को वैधता प्रदान करती है, जिससे घरेलू कानून को ई-कॉमर्स विनियमन के वैश्विक मानकों के साथ संरेखित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में निहित पारंपरिक सिद्धांत लागू होते रहेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रस्ताव, स्वीकृति, विचार और स्वतंत्र सहमति जैसे आवश्यक तत्व डिजिटल वातावरण में संतुष्ट हैं। इस वैधानिक ढांचे के बावजूद, ई-अनुबंधों पर बढ़ती निर्भरता ने जटिल कानूनी चुनौतियां पेश की हैं। क्षेत्राधिकार, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, प्रमाणीकरण और मानक प्रपत्र अनुबंधों की प्रवर्तनीयता से संबंधित मुद्दे - जिन्हें आमतौर पर "क्लिक-रैप" और "ब्राउज-रैप" समझौतों के रूप में जाना जाता है - ने उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके अलावा, उभरती प्रौद्योगिकियों और सीमा पार डिजिटल लेनदेन को संबोधित करने वाले व्यापक कानून की अनुपस्थिति अक्सर व्याख्यात्मक अस्पष्टताओं को जन्म देती है। न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से इन कमियों को पाटने का प्रयास किया है; हालाँकि, डिजिटल इंटरैक्शन की गतिशील प्रकृति मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता का परीक्षण करती रहती है।

भारत के अनुबंध कानून की संरचना 'भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872' ("अनुबंध अधिनियम") पर आधारित है, जो अनुबंध को लागू करने योग्य बनाने के मुख्य तत्व प्रदान करता है: प्रस्ताव और स्वीकृति, वैध प्रतिफल, कानूनी संबंध बनाने का इरादा, क्षमता, स्वतंत्र सहमति और वैध उद्देश्य<sup>1</sup>। कानून या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध किए गए अनुबंध शुरू से ही (ab initio) शून्य माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लागू करने से जनता को नुकसान पहुँच सकता है या वैधानिक उद्देश्यों में बाधा आ सकती है<sup>2</sup>। यह लचीलापन—विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के उस सिद्धांत में जिसे न्यायाधीशों ने विकसित किया है—अदालतों को समय के साथ उभरती हुई नई सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को समायोजित करने में सक्षम बनाता है।

डिजिटलीकरण ने इस परिदृश्य को पुनः कॉन्फ़िगर किया है। उपभोक्ता बाजार अब ऐप्स और ऑनलाइन मार्केटप्लेस (जैसे, खुदरा प्लेटफॉर्म, गतिशीलता, खाद्य वितरण) के माध्यम से संचालित होते हैं, और उद्यम आपूर्ति श्रृंखलाएं तेजी से स्वचालित डेटा प्रवाह (जैसे, ई-चालान, ईडीआई, एपीआई-संचालित खरीद) पर निर्भर करती हैं। महामारी ने ई-साइन और रिमोट वर्कफ़्लो को व्यापक रूप से अपनाने को प्रेरित किया। इन विकासों को एक वैधानिक त्रय द्वारा रेखांकित किया गया है: (i) वास्तविक वैधता के लिए अनुबंध अधिनियम, (ii) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम"), और (iii) इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता और प्रमाणीकरण के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ("बीएसए 2023")<sup>3</sup> यह व्यवस्था मोटे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर UNCITRAL मॉडल कानून (1996)<sup>4</sup> जैसी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

इस संदर्भ में, भारत में ई-अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे की एक महत्वपूर्ण जांच आवश्यक हो जाती है। यह न केवल वर्तमान नियामक व्यवस्था की ताकत और सीमाओं पर प्रकाश डालता है बल्कि उभरती तकनीकी और वाणिज्यिक वास्तविकताओं को संबोधित करने के लिए कानूनी सुधारों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। ऐसा विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कानून उत्तरदायी, न्यायसंगत और भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास को बढ़ावा देने में सक्षम बना रहे है।

## A. भारत में ई-अनुबंधों का कानूनी ढांचा

<sup>1</sup> भारतीय संविदा अधिनियम 1872ए धारा 2ीद्वए 10ए

<sup>2</sup> भारतीय संविदा अधिनियम 1872ए धारा 23 ;विधिपूर्ण उद्देश्य लोक नीति के विरुद्ध करार शून्य होते हैंद्व।

<sup>3</sup> सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000ए धाराए 4ए 5ए 10एय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ;इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यद्व।

<sup>4</sup> ःडब्ल्यू।ए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर आदर्श विधि ,1996द्वए

## I. शास्त्रीय अनुबंध तत्वों की निरंतरता

भारतीय कानून “ई-अनुबंध नामक एक अलग प्रजाति नहीं बनाता है।” बल्कि, यह अनुबंध अधिनियम के पारंपरिक तत्वों को डिजिटल वातावरण पर लागू करता है। ई-अनुबंध में अभी भी निम्नलिखित प्रदर्शित होना चाहिए: एक निश्चित प्रस्ताव; प्रस्तावक को सूचित की गई स्पष्ट स्वीकृति; विचार (निष्पादित या निष्पादन योग्य); कानूनी संबंध बनाने का इरादा (आमतौर पर वाणिज्य में माना जाता है); धारा 11 के तहत क्षमता; धारा 14 के तहत स्वतंत्र सहमति (अर्थात्, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी, गलती का अभाव); और धारा 23 के तहत एक वैध उद्देश्य<sup>5</sup>।

डिजिटल संदर्भ में, इन तत्वों को अक्सर लॉग, टाइमस्टैम्प, सिस्टम नोटिस और रिकॉर्ड की गई उपयोगकर्ता यात्राओं (जैसे, सहमति स्क्रीन) के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। व्यावहारिक जांच यह है कि क्या इंटरफ़ेस ने शर्तों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया है और क्या उपयोगकर्ता के आचरण ने सूचित सहमति का संकेत दिया है।

## II. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और अनुबंधों की मान्यता

तीन प्रावधान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:

- धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कानूनी मान्यता प्रदान करती है: जो सूचना सामान्यतः लिखित होती है, उसे केवल इसलिए वैधता से वंचित नहीं किया जाता क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में है<sup>6</sup>।
- धारा 5 डिजिटल हस्ताक्षरों (और विस्तार से, अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों) को प्रमाणीकरण के लिए हस्तलिखित हस्ताक्षरों के कार्यात्मक रूप से समतुल्य मानती है।
- धारा 10ए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता की पुष्टि करती है, बशर्ते अनुबंध अधिनियम की अनिवार्यताएं पूरी हों।

ये प्रावधान फॉर्म-आधारित आपत्तियों को बेअसर कर देते हैं —अर्थात्, “कोई कागज नहीं, कोई कलम नहीं, कोई अनुबंध नहीं। व्यवहार में, भारतीय उद्यम (क) सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना द्वारा समर्थित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी), (ख) कुछ उपयोग-मामलों के लिए आधार-आधारित ई-चिह्न, और (ग) कम जोखिम वाले लेनदेन के लिए ऑडिट ट्रेल्स के साथ आंतरिक ई-चिह्न उपकरण का उपयोग करते हैं।

## III. भारतीय सक्षम अधिकारीम, 2023: स्वीकार्यता और प्रमाणीकरण

<sup>5</sup> भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872ए धारा 10.14ए 23ए

<sup>6</sup> सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000ए धारा 4।

बीएसए 2023 स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, जो अखंडता और प्रामाणिकता (हैश मान, मेटाडेटा, लॉग, प्रमाणपत्र) सुनिश्चित करने वाली शर्तों के अधीन है<sup>7</sup>। यद्यपि इसकी संरचना भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाती है, लेकिन कार्यात्मक लक्ष्य परिचित है: न्यायालयों को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वही है जो वह होने का दावा करता है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। पार्टी प्रणाली, हिरासत श्रृंखला और सुरक्षित टाइम-स्टैम्प की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हो सकती है।

#### IV. अंतर्राष्ट्रीय संरेखण और नरम कानून

भारत का दृष्टिकोण इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर UNCITRAL मॉडल कानून (1996) और संबंधित उपकरणों के अनुरूप है, जो कार्यात्मक तुल्यता (कागज़ के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्यात्मक समता) और प्रौद्योगिकी तटस्थता का समर्थन करते हैं<sup>8</sup>। इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) ने लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध प्रथाओं और मॉडल खंडों का समर्थन किया है जो ऑनलाइन सहमति और रिकॉर्ड रखने को स्पष्ट करते हैं<sup>9</sup>। ऐसी सॉफ्ट-लॉ सामग्रियां बाध्यकारी न होने पर भी प्रारूपण और प्लेटफॉर्म प्रशासन का मार्गदर्शन कर सकती हैं।

#### B. डिजिटल अनुबंध के तरीके और गठन की यांत्रिकी

##### I. क्लिक-रैप

क्लिक-रैप शब्द एक संवाद बॉक्स या स्क्रीन में दिखाई देते हैं, जिसके लिए उपयोगकर्ता को शब्दों के साथ प्रस्तुत किए जाने या उन तक उचित पहुंच दिए जाने के बाद “मैं सहमत हूँ” (या अनुरूप भाषा) पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है। न्यायालय आमतौर पर क्लिक-रैप को बरकरार रखते हैं, जहां: (i) उपयोगकर्ता को पर्याप्त सूचना दी गई हो; (ii) सहमति सकारात्मक हो (मूल शर्तों के लिए कोई पूर्व-टिक किए गए बॉक्स न हों); और (iii) शर्तें अनुचित या कानून/सार्वजनिक नीति के विपरीत न हों।

ट्रिमेक्स इंटरनेशनल एफजेडई बनाम वेदांता एल्युमीनियम लिमिटेड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि भौतिक हस्ताक्षरों के बिना ई-मेल आदान-प्रदान के माध्यम से अनुबंध संपन्न किया जा सकता है, जिससे यह सिद्धांत स्पष्ट हो गया कि जहां सर्वसम्मति स्पष्ट है, वहां रूप सार को पराजित नहीं करता है<sup>10</sup>। जबकि ट्रिमेक्स में ई-मेल शामिल थे, इलेक्ट्रॉनिक संचार को

<sup>7</sup> भारतीय सक्षम अधिकारीए 2023 :इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डय प्रामाणिकता और विश्वसनीयता आवश्यकताएँद्व।

<sup>8</sup> यूएनसीआईटीआरएलए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर मॉडल कानून :1996द्वए अनुच्छेद 5दृ8 :कार्यात्मक तुल्यताद्व।

<sup>9</sup> इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स :आईसीसीद्वए इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध पर दिशानिर्देश और मॉडल खंड ।

<sup>10</sup> ट्रिमेक्स इंटरनेशनल एफजेडई बनाम वेदांता एल्युमीनियम लिमिटेडए :2010द्व 3 एससीसी 1।

सहमति के माध्यम के रूप में मान्यता देने वाला इसका तर्क क्लिक-रैप समझौतों की प्रवर्तनीयता का समर्थन करता है जहां रिकॉर्ड सूचित, जानबूझकर स्वीकृति दिखाते हैं।

## II. ब्राउज़-रैप (वेब-रैप)

ब्राउज़-रैप किसी वेबसाइट या ऐप के उपयोग से सकारात्मक क्लिक के बिना सहमति मानता है, अक्सर फुटर में “उपयोग की शर्तें” डालकर। प्रवर्तनीयता नोटिस पर चालू हो जाती है। यदि शर्तें अस्पष्ट हैं, तो न्यायालय को संदेह हो सकता है कि क्या किसी विवेकशील उपयोगकर्ता को उनके बारे में जानकारी थी, विशेष रूप से कठिन धाराओं के लिए। उपभोक्ता संदर्भों में, ब्राउज़-रैप मुख्य दायित्वों (जैसे, मध्यस्थता, वर्ग छूट, डेटा-साझाकरण) के लिए जोखिम भरा है। सर्वोत्तम अभ्यास प्लेटफार्मों को संकरण के लिए प्रेरित करता है: विशिष्ट संकेत दिखाएं या भौतिक शब्दों के लिए क्लिक की आवश्यकता हो।

## III. श्रिंक रैप

पैकेज किए गए सॉफ्टवेयर या उपकरणों के साथ श्रिंक-रैप अनुबंध होते हैं, जिनका उद्देश्य पैकेज खोलने या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर उपयोगकर्ताओं को बाध्य करना होता है। भारतीय न्यायालय संभवतः यह पूछेंगे कि क्या उपयोगकर्ता को बाध्य होने से पहले शर्तों की समीक्षा करने का उचित अवसर मिला था और क्या कोई खंड अनुचित या वैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। उच्च मूल्य या संवेदनशील सॉफ्टवेयर के लिए, आपूर्तिकर्ता तेजी से क्लिक-रैप या लाइसेंस सक्रियण प्रवाह की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं जो सकारात्मक सहमति दर्ज करते हैं।

## IV. ई-मेल और मैसेजिंग एग्रीमेंट

जहां पक्षकार ई-मेल या यहां तक कि उद्यम संदेश उपकरणों के माध्यम से बातचीत करते हैं, वहां अनुबंध तब उत्पन्न हो सकता है जब संचार में आवश्यक शर्तों पर सहमति और बाध्य होने का इरादा दर्शाया गया हो। ट्रिमेक्स ने पुष्टि की है कि भौतिक हस्ताक्षर कोई पूर्वापेक्षा नहीं हैं, यद्यपि स्पष्टता के लिए वे अच्छे अभ्यास हैं। पक्षों को विषय पंक्तियों, कथनों और “संपूर्ण समझौते” की भाषा का मसौदा तैयार करके और अंतिम पुष्टि को समेकित करके (उदाहरण के लिए, “पुष्टि की गई और संलग्न नियम व शर्तों के अधीन बाध्यकारी”) अस्पष्टता से बचना चाहिए।

## V. इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण

आईटी अधिनियम के तहत, डिजिटल हस्ताक्षर (प्रमाणन प्राधिकारी के साथ असममित क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके) को वैधानिक मान्यता प्राप्त है<sup>11</sup>। कानून में सरकार द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का भी प्रावधान है (जैसे, अनुमोदित कार्यप्रवाह में आधार ई-साइन)। व्यवहार में:

- मध्यम जोखिम वाले अनुबंधों में सुरक्षित ऑडिट ट्रेल्स के साथ विक्रेता ई-साइन समाधान का उपयोग किया जा सकता है।
- कम जोखिम वाला क्लिक-रैप उपयोगकर्ता खातों और डिवाइस पहचानकर्ताओं से जुड़े सर्वर लॉग पर निर्भर करता है।

कुंजी लिंकेज है: सिस्टम को व्यक्ति (या कॉर्पोरेट एजेंट) को टाइम-स्टैम्प, आईपी/डिवाइस डेटा, ओटीपी इवेंट और छेड़छाड़-स्पष्ट लॉग के साथ हस्ताक्षर या क्लिक करने के कार्य से विश्वसनीय रूप से जोड़ना चाहिए।

## VI. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) और स्वचालित अनुबंध

ईडीआई मानकीकृत प्रारूपों का उपयोग करके संरचित दस्तावेजों —खरीद आदेश, पावती, चालान— के मशीन-टू-मशीन आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। एक सामान्य आपूर्ति श्रृंखला में, खुदरा विक्रेता की प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक क्रय आदेश भेजती है; आपूर्तिकर्ता की प्रणाली स्वतः पुष्टि करती है; पूर्ति और चालान का पालन—सभी बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के होता है। कानूनी प्रश्न यह है कि क्या यह क्रम अनुबंध अधिनियम के तहत अधिकृत एजेंटों द्वारा प्रस्ताव और स्वीकृति का प्रमाण देता है, जो कि आम तौर पर होता है, बशर्ते कि पक्ष ईडीआई प्रोटोकॉल (अक्सर मास्टर सप्लाइ समझौते के माध्यम से) पर सहमत हो गए हों।

## C. सार्वजनिक नीति, गोपनीयता और साक्ष्य प्रवर्तन

### I. अंशांकन सिद्धांत के रूप में एक सार्वजनिक नीति

अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत सार्वजनिक नीति उन समझौतों को अमान्य कर देती है जिनका उद्देश्य या विचार गैरकानूनी या जनता के लिए हानिकारक है<sup>12</sup>। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि सार्वजनिक नीति एक गतिशील अवधारणा है जो सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी है<sup>13</sup>। डिजिटल सेटिंग में, न्यायालय इस सिद्धांत का उपयोग शोषणकारी मानक-रूप खंडों की जांच करने, सहमति में हेरफेर करने वाले काले पैटर्न को दंडित करने, तथा वैधानिक

<sup>11</sup> सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000ए धारा 5 और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों और प्रमाणन प्राधिकरणों पर संबद्ध नियम।

<sup>12</sup> भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872ए धारा 23।

<sup>13</sup> आरबीआई बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेडए ;1987इ 1 एससीसी 424 ;एक गतिशील अवधारणा के रूप में सार्वजनिक नीति।

सुरक्षा (जैसे, गोपनीयता अधिकार या अनिवार्य उपभोक्ता सुरक्षा) से संबंधित शर्तों को अमान्य करने के लिए कर सकते हैं।

जांच की दो लाइनें आम है:

1. मूलभूत निष्पक्षता—क्या सूचना विषमता और इसे स्वीकार करो या छोड़ दो इंटरफेस को देखते हुए ये शब्द अनुचित हैं।
2. प्रक्रियात्मक निष्पक्षता—क्या इंटरफ़ेस ने वास्तविक सूचना और समीक्षा करने का उचित अवसर प्रदान किया? क्या प्रमुख शब्दों पर प्रकाश डाला गया।

जहां शर्तें गंभीर हों, वहां अदालतें उन्हें रद्द कर सकती हैं या संकीर्ण रूप से पढ़ सकती हैं।

## II. उपभोक्ता संरक्षण और प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन

उपभोक्ता बाजारों में ई-अनुबंध अक्सर बॉयलरप्लेट टी एंड सी पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और ई-कॉमर्स नियम पारदर्शिता के कर्तव्यों को लागू करते हैं और अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म को चाहिए:

- प्रमुख शब्दों का स्पष्ट रूप से खुलासा करें (मूल्य निर्धारण, रद्दीकरण, डेटा उपयोग, विवाद समाधान)।
- सुलभ शिकायत निवारण प्रदान करें।
- बलपूर्वक चूक से बचें (जैसे, ऐड-ऑन खरीदारी के लिए पहले से टिक किए गए बॉक्स)।
- जहां लागू हो, वैधानिक वारंटी और धन वापसी/वापसी व्यवस्था का सम्मान करें।

उद्योग संहिताएं और स्व-नियामक तंत्र निष्पक्ष सहमति के लिए UI/UX मानक निर्धारित करके वैधानिक निरीक्षण को पूरक बना सकते हैं।

## III. गोपनीयता और डेटा सुरक्षा

ई-अनुबंध व्यक्तिगत डेटा —पहचान, भुगतान क्रेडेंशियल, व्यवहारिक टेलीमेट्री के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) वैध प्रसंस्करण, उद्देश्य सीमा और उपयोगकर्ता अधिकारों के सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है<sup>14</sup>। अनुबंध करने वाले पक्ष जो “डेटा प्रत्ययी” के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें पारदर्शी नोटिस, वैध आधार (सहमति या वैध उपयोग), सुरक्षा सुरक्षा उपाय और जहां आवश्यक हो वहां उल्लंघन अधिसूचना सुनिश्चित करनी चाहिए। वैधानिक गोपनीयता अधिकारों को माफ करने का दावा करने वाली अनुबंध

<sup>14</sup> डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, वैध प्रसंस्करण सुरक्षा उपाय और डेटा प्रत्ययी दायित्वों के सिद्धांतद्वारा।

शर्तें सार्वजनिक नीति और उपभोक्ता कानून के तहत असुरक्षित हैं। डिज़ाइन के दृष्टिकोण से, स्तरित नोटिस, विस्तृत सहमति, तथा डेटा-गहन या क्रॉस-संदर्भ उपयोगों के लिए अलग-अलग संकेत यह प्रदर्शित करने में मदद करते हैं कि सहमति “स्वतंत्र” और “सूचित थी।” बी2बी व्यवस्थाओं के लिए, डेटा प्रोसेसिंग परिशिष्ट को श्रृंखला भर में दायित्वों को संरेखित करना चाहिए।

#### IV. सीमा पार प्रवर्तन और कानूनों का टकराव

डिजिटल प्लेटफॉर्म क्षेत्राधिकार और कानून की पसंद को जटिल बनाते हैं। सर्वोत्तम अभ्यास मंच, शासकीय कानून और विवाद तंत्र (जैसे, सीट, नियम और भाषा के साथ संस्थागत मध्यस्थता) को निर्दिष्ट करना है। अदालतें इस बात की जांच करती हैं कि क्या उपभोक्ता संदर्भ में ऐसे खंड दमनकारी हैं। उद्यम सौदों के लिए, मजबूत आपातकालीन राहत और ई-डिस्कवरी प्रोटोकॉल (मशीन लॉग और स्रोत मेटाडेटा के उत्पादन सहित) के साथ मध्यस्थता फोरम की अनिश्चितता को कम कर सकती है।

#### V. साक्ष्य संबंधी मुद्दे: सत्यनिष्ठा, श्रेय और प्रमाण

बीएसए 2023 के तहत, पार्टियों को यह दिखाना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं।<sup>19</sup> व्यवहार में, इसमें शामिल है:

- अखंडता साक्ष्य: हेश मान, सुरक्षित समय-टिकट, छेड़छाड़-प्रमाणित भंडारण, संस्करण इतिहास।
- एट्रिब्यूशन: क्रेडेंशियल्स, डिवाइस आईडी, आईपी, ओटीपी लॉग या एंटरप्राइज़ एसएसओ के माध्यम से किसी कार्य (क्लिक, ई-साइन) को उपयोगकर्ता पहचान से जोड़ना।
- सिस्टम विवरण: हलफनामे जिसमें बताया गया है कि प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड (वास्तुकला आरेख, प्रतिधारण नीतियां) को कैसे कैप्चर और संरक्षित करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के तरीके और अखंडता को प्रमाणित करने के लिए पूर्ववर्ती धारा 65बी व्यवस्था के समान प्रमाणपत्र, जिन्हें अब बीएसए 2023 प्रावधानों के तहत अनुकूलित किया गया है। स्वचालित प्रणालियों के लिए, न्यायालय इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या एल्गोरिदम डिजाइन के अनुसार संचालित होते हैं और क्या अपवादों को चिह्नित किया गया था। ऑडिट ट्रेल्स और अपवाद रिपोर्ट अमूल्य हैं।

#### VI. जोखिम नियंत्रण और शासन

संगठन विवादों को निम्न प्रकार से कम कर सकते हैं:

1. अनुबंध वास्तुकला: मास्टर समझौते जिनमें ईडीआई या एपीआई शर्तें शामिल होती हैं; नियम एवं शर्तों, ऑर्डर फॉर्म, एसएलए और गोपनीयता अनुलग्नकों के बीच स्पष्ट पदानुक्रम।

2. सहमति UX: विशिष्ट शब्द; भौतिक खंडों के लिए क्लिक-थ्रू; भौतिक परिवर्तनों पर समय-समय पर पुनः सहमति ।
3. रिकॉर्डकीपिंग: WORM (एक बार लिखें-कई बार पढ़ें) भंडारण, क्रिप्टोग्राफिक सीलिंग, और अवधारण कार्यक्रम सीमा अवधि के साथ संरेखित हैं ।
4. साइबर सुरक्षा: पारगमन/आराम की स्थिति में एन्क्रिप्शन, कुंजी प्रबंधन, न्यूनतम विशेषाधिकार पहुंच, घटना प्लेबुक और तृतीय-पक्ष जोखिम आकलन।
5. विवाद खंड: चरणबद्ध समाधान (बातचीत-मध्यस्थता-मध्यस्थता), क्यूरेटेड फोरम और आपातकालीन उपाय ।

## निष्कर्ष

भारतीय कानून ने डिजिटल अनुबंध को काफी हद तक अपना लिया है। अनुबंध अधिनियम स्थायी सिद्धांतों की आपूर्ति करता है; आईटी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षरों के लिए कार्यात्मक तुल्यता सुनिश्चित करता है; बीएसए 2023 साक्ष्य प्रवेश और प्रमाणीकरण का आधुनिकीकरण करता है। न्यायिक घटनाक्रम, विशेष रूप से ट्रिमेक्स और प्रस्ताव/स्वीकृति तथा सार्वजनिक नीति के बारे में दीर्घकालिक सिद्धांत इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब वास्तविक आम सहमति इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है, तो स्वरूप, सार पर हावी नहीं होगा। साथ ही, अदालतें बॉयलरप्लेट शर्तों में खासकर उपभोक्ता संदर्भों में अनुचितता के प्रति सतर्क रहती हैं। अगले चरण के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं में शामिल हैं:

1. ऑनलाइन स्वीकृति पर दिशानिर्देश: क्लिक-रैप/ब्राउज़-रैप डिज़ाइन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को स्पष्ट करने वाले सरकारी या न्यायिक अभ्यास नोट (जैसे, विशिष्ट प्रस्तुति, सामग्री शर्तों के लिए अलग सहमति, डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध) मुकदमेबाजी को कम करेंगे और उद्योग के व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करेंगे ।
2. सीमा-पार स्पष्टता: मानकीकृत ई-कॉमर्स संदर्भों के लिए आदर्श विधि-चयन और फोरम धाराएं; इलेक्ट्रॉनिक मध्यस्थता समझौतों और दूरस्थ सुनवाई को डिफ़ॉल्ट-सक्षम के रूप में मान्यता ।
3. साक्ष्य उपकरण: बीएसए 2023 के तहत उत्पादन को सुव्यवस्थित करने के लिए हैश-आधारित अखंडता प्रमाण, चेन-ऑफ-कस्टडी और लॉग स्कीमा के लिए मानकीकृत तकनीकी अनुलग्नक ।
4. डिज़ाइन द्वारा गोपनीयता: डीपीडीपी अधिनियम अनुपालन को यूएक्स ग्रैनुलर सहमति, डेटा-न्यूनतम डिफ़ॉल्ट और सार्थक उपयोगकर्ता नियंत्रण में एम्बेड करें ।

5. क्षेत्रीय मानक: उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (फिनटेक, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे) में, ई-अनुबंध निर्माण और प्रदर्शन के संबंध में मजबूत प्रमाणीकरण, ऑडिट ट्रेल्स और घटना रिपोर्टिंग निर्धारित करें।

6. एसएमई सक्षमता: अनुपालन लागत को कम करने और बड़े उद्यमों से परे डिजिटल अनुबंध लाभों का विस्तार करने के लिए टूलकिट और ओपन-सोर्स टेम्प्लेट (मॉडल टी एंड सी, ईडीआई प्लेबुक, ई-साइन नीतियां)।

संक्षेप में, भारत पहले से ही ई-अनुबंधों की वैधता, प्रवर्तनीयता और साक्ष्य संबंधी स्वीकार्यता को मान्यता देता है। सीमा मान्यता नहीं बल्कि परिशोधन है—डिजिटल समझौतों को प्लेटफार्मों और सीमाओं के पार अधिक समझने योग्य, निष्पक्ष, सुरक्षित और पोर्टेबल बनाना। विधायी सुधार, न्यायिक मार्गदर्शन और उद्योग स्वशासन का एक संतुलित मिश्रण एक ऐसा अनुबंध पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान कर सकता है जो नवाचार के लिए तैयार और जनहित-केंद्रित दोनों हो।

## ग्रंथ सूची

### प्राथमिक विधान

- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।
- भारतीय सक्षम अधिनियम, 2023।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023।

### द्वितीयक स्रोत (उदाहरणात्मक)

- अवतार सिंह, अनुबंध और विशिष्ट राहत कानून (नवीनतम संस्करण)।
- पोलक और मुल्ला, भारतीय अनुबंध अधिनियम और विशिष्ट राहत अधिनियम (नवीनतम संस्करण)।
- आर. देसाई, “भारतीय न्यायालयों में डिजिटल साक्ष्य और प्रमाणीकरण,” एनएलएसआईयू लॉ रिव्यू (2023)।
- डी. श्रीधर, “भारत में ई-कॉमर्स और अनुबंध कानून,” जर्नल ऑफ साइबर लॉ एंड पॉलिसी (2022)।